प्रेषक,

लाल धीरेन्द्र राव
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 लखनऊ : दिनांक 30 मई, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-58 राजस्व मद में अनुरक्षण कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि को प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के निवर्तन पर रखे जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र-8017सी/54सी0/निवर्तन2023-24 दिनांक 11.02.2023 एवं पत्र सं0-444सी/54सी/निवर्तन/23-24 दिनांक 23.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-58 राजस्व मदों में अनुरक्षण कार्यों हेतु धनराशि प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के निवर्तन पर रखे जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नविवरणानुसार/शर्तों के अधीन वित्तीय व्यय करने हेतु कुल रू0 3004.50 करोड़ (रूपये तीस अरब चार करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 लखनऊ के निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत धनराशि को प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 द्वारा एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जायेगा तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में न रखी जाये।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2021-बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनॉक 22 मार्च 2021 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

(3) केवल स्वीकृत योजनाओं/मदों पर व्यय किया जायेगा। किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग अन्य मदों के कार्यान्वयन में नहीं किया जायेगा। निवर्तन पर रखी गयी धनराशि के संबंध में कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 3054043370301 (प्रदेश के मार्गों /पुलियों का अनुरक्षण कार्य)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	058	3054043370301 प्रदेश के मार्गों/पुलियों का अनुरक्षण कार्य	29 अनुरक्षण	15,00,00,00,000 (रुपये पंद्रह अरब मात्र)
	कुल			15,00,00,00,000 (रुपये पंद्रह अरब मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

लेखाशीर्ष: 3054043370331 (प्रदेश में सम्पारों का अनुरक्षण तथा रेल कम सड़क पुलों के अनुरक्षण हेतु रेलवे के भुगतान)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	058	3054043370331 प्रदेश में सम्पारों का अनुरक्षण तथा रेल कम सड़क पुलों के अनुरक्षण हेतु रेलवे के भुगतान	29 अनुरक्षण	2,50,00,000 (रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र)
	कुल			2,50,00,000 (रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र)

लेखाशीर्ष: 3054043370332 (प्रदेश के ग्रामीण मार्गों /पुलियों का अनुरक्षण कार्य)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	058	3054043370332 प्रदेश के ग्रामीण मार्गों /पुलियों का अनुरक्षण कार्य	29 अनुरक्षण	15,00,00,00,000 (रुपये पंद्रह अरब मात्र)
	कुल			15,00,00,00,000 (रुपये पंद्रह अरब मात्र)

लेखाशीर्ष: 3054808000702 (प्रदेश के महत्वपूर्ण नगरीय चौराहों का सुधार सौन्दर्यीकरण एवं अनुरक्षण कार्य)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	058	3054808000702 प्रदेश के महत्वपूर्ण नगरीय चौराहों का सुधार, सौन्दर्यीकरण एवं अनुरक्षण कार्य	29 अनुरक्षण	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)
	कुल			2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)

महायोग	30,04,50,00,000 (रुपये तीस अरब चार करोड़ पचास लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(लाल धीरेन्द्र राव)
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-111/2023/740(1)/001-740-23-10-2023-10-ब0-2016, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- महालेखाकार (लेखा एवं हक0, प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 ।
4- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 एवं 2 ।
5- नियोजन अनुभाग-4
6- लोक निर्माण अनुभाग- 01 एवं 11
7- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(लाल धीरेन्द्र राव)
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।